



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



के.आ./के.आ./सू.अ/2016/470

दिनांक : 05 जनवरी, 2017

श्री कंचन कुमार,
ग्राम: अशोक नगर, पो. - नौलखी,
भाया - मुरलीगंज, जिला: पूर्णियां
बिहार - 852 122

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 09.12.2016 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी।

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबन्ध - क** पर संलग्न है।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है:

श्री एस. के शर्मा
कार्यपालक निदेशक (के.आ.) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सैक्टर - 29, गुडगांव - 122001, हरियाणा
Email ID: s.k.sharma@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571960

धन्यवाद।

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Annexure-A
अनुबन्ध-क

Serial No.	RTI Query	Comments of Vigilance Department
1	उक्त आवेदन मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में किस तिथि को प्राप्त हुआ ? कृपया सूचना उपलब्ध कराए .	उक्त आवेदन मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त हुआ ।
2	जिस तिथि को आवेदन प्राप्त हुआ उस तिथि से अब तक उक्त आवेदन पर क्या कारवाई हुई है ? कृपया तिथिवार सूचना उपलब्ध कराएं।	इस संबंध में शिकायतकर्ता से शिकायत का सत्यापन किया गया है, संबंधित लोगों से पूछताछ की गयी है एवं जरूरी दस्तावेज मांगे गये हैं एवं जांच जारी है । चूंकि इस केस की अभी जांच चल रही है अतः विस्तार सूचना 'सूचना का अधिकार' 2015 के सेक्शन 8 (1) (h) के तहत छूट प्राप्त है
3	आवेदन से संबंधित फाईल की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए	'सूचना का अधिकार' कानून 2015 के सेक्शन 8 (1) (h) के तहत यह सूचना छूट प्राप्त है क्योंकि इसकी जांच अभी चल रही है
4	आवेदन प्राप्त होने के कितने समय तक में जांच पूरी हो जाती है / कृपया सूचना उपलब्ध कराएं?	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा के निर्देशानुसार जांच 90 दिनों में की जानी होती है

राजेश